वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 18.01.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर ",अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, भारत एकता टाइम्स, राष्ट्रीय सहारा, ज्ञानशिखा टाइम्स, जनसंदेश टाइम्स, जागरूक एक्सप्रेस, सुपर फ़ास्ट टाइम्स, तरुणमित्र न्यूज़,स्टेट मीडिया संवाददाता,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 18.01.2025

वीडीए के अवर अभियंता का वेतन रोका, नोटिस भी दिया

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने मानचित्र के अवर अभियंता संजय कुमार तिवारी का एक दिन का वेतन रोकने के साथ नोटिस जारी किया। 20 जनवरी तक जवाब न देने पर कार्रवाई की जाएगी। यह नोटिस मानचित्र आवेदन प्रक्रिया में लापरवाही और अनावश्यक आपत्तियां लगाने के कारण जारी किया गया है।

वीडीए उपाध्यक्ष के अनुसार आवेदक सुनीति कुमारी और धनंजय प्रताप सिंह ने शिकायत की कि उनके मानचित्र के आवेदन पर अनावश्यक आपत्ति लगाई जा रही है। कमियां होने पर आपत्तियों को नजरअंदाज कर अवर अभियंता ने मानचित्र ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड किया। एक अन्य आवेदन पर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इन पर आरोप है कि लैंड यूज की रिपोर्ट स्पष्ट नहीं दी। साइट पर नाले की जानकारी नहीं दी। हलफनामा और दस्तावेज संलग्न नहीं थे। ब्यूरो

अवैध प्लॉटिंग पर रोक

वीडीए की ओर से शुक्रवार को अवैध निर्माण और एक अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की गई। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार सारनाथ वार्ड के बरईपुर में विरेंद्र बहादुर सिंह व अन्य की ओर से सारंगनाथ मंदिर के बगल में बगैर मानचित्र स्वीकृत कराए 2200 वर्ग मीटर में प्लॉटिंग की जा रही थी। उन्हें नोटिस जारी करते हुए प्लॉटिंग पर रोक लगा दी। उधर मुगलसराय वार्ड के गोधना में बगैर नक्शा पास कराए निर्माण कराया जा रहा था।

दैनिक जागरण–दि0 18.01.2025

वीडीए की अनुमति के बिना बन रहा दो मंजिला भवन सील

संवाद सूत्र, जागरण, नियामताबाद (चंदौली) : वाराणसी विकास प्राधिकरण की टीम ने शुक्रवार की शाम गोधना हाईवे चौराहा के समीप कार्रवाई की। इसमें रेमा मोड़ के समीप बिना अनुमति के निर्माणाधीन दो मंजिला मकान को सील कर दिया। वीडीए के जोनल अधिकारी गौरव सिंह, जयप्रकाश और अवर अभियंता अशोक यादव विभागीय टीम के साथ शुक्रवार को गोधना हाईवे चौराहे के समीप पहुंचे। यहां उन्होंने रेमा मोड़ के पास गुरदीप पाल के बन रहे दो मंजिला मकान की जांच की। भवन स्वामी वीडीए का अनुमति व मानचित्र नहीं दिखा सके। इस पर टीम ने कार्रवाई की।

इस बाबत जोनल अधिकारी ने बताया कि निर्माणकर्ता वर्तमान में निर्माण कर बेसमेंट पर पिलर खड़ करके उस पर छत की ढलाई कर रहा था। जो पूरी तरह से अनाधिकृत है। प्राधिकरण की ओर से कोई भी अनुमति नहीं दी गई है। बताया कि निर्माण के बाबत उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत बीते 30 नवंबर को नोटिस जारी की गई थी। जिस पर कोई भी जवाब निर्माणकर्ता की ओर से नहीं दिया गया था और निर्माण कार्य जारी रखा गया। बताया कि कोई भी निर्माण करने से पूर्व उसका नक्शा वाराणसी विकास प्राधिकरण से पास करना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई निश्चित होगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण–दि0 18.01.2025

चंदौली में वीडीए की अनुमति के बिना बन रहा भवन सील

नियामताबाद (चंदौली) : वाराणसी विकास प्राधिकरण की टीम ने शुक्रवार की शाम गोधना हाईवे चौराहा के समीप कार्रवाई की। इसमें रेमा मोड़ के समीप बिना अनुमति के निर्माणाधीन दो मंजिला मकान को सील कर दिया। वीडीए के जोनल अधिकारी गौरव सिंह, जयप्रकाश और अवर अभियंता अशोक यादव विभागीय टीम के साथ शुक्रवार को गोधना हाईवे चौराहे के समीप पहुंचे। यहां उन्होंने रेमा मोड़ के पास गुरदीप पाल के बन रहे दो मंजिला मकान की जांच की। भवन स्वामी वीडीए का अनुमति व मानचित्र नहीं दिखा सके। (संसू)

भारत एकता टाइम्स–दि0 18.01.2025

वीडीए अवर अभियंता को कारण बताओ नोटिस

एक्शन

- मानचित्र आवेदन प्रक्रिया में लापरवाही पर उपाध्यक्ष ने की कार्रवाई

भारत एकता टाइम्स/वाराणसी

विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने संजय कुमार तिवारी अवर अभियंता (मानचित्र) को कारण बताओ नोटिस जारी किया। यह नोटिस मानचित्र आवेदन प्रक्रिया में लापरवाही और अनावश्यक आपत्तियाँ लगाने के कारण जारी किया। जानकारी के मुताबिक, बिते 16 जनवरी को आवेदक सुनीति कुमारी और धनंजय प्रताप सिंह ने शिकायत की थी कि उनके द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में बार-बार प्राधिकरण द्वारा आपत्तियाँ लगाई जा रही है, जिसके कारण मानचित्र निस्तारण में विलंब हो रहा है। संजय तिवारी के द्वारा आवेदन का सही ढंग से परीक्षण नहीं किया गया, जिसके कारण आवेदकों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ा। प्राधिकरण ने 26 नवंबर 2024 और 3 जनवरी 2025 को दी गई आपत्तियों में लैंड यूज रिपोर्ट, वास्तुविद् हलफनामा, गणना पत्रिका, और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों में कमी पाई गई थी। इसके बावजूद, संजय तिवारी ने इन्हें नजरअंदाज करते हुए 28 दिसंबर 2024 और 15 जनवरी 2025 को मानचित्र अपलोड कर दिया। इसके

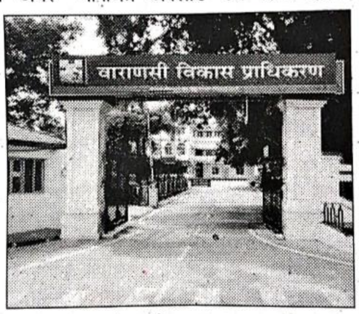

अलावा, संजय तिवारी द्वारा 11 जनवरी को एक नया मानचित्र प्राप्त होने के बावजूद 17 जनवरी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं करने पर आवेदन प्रक्रिया में लापरवाही कारण नोटिस जारी किया गया।

हिन्दुस्तान–दि0 18.01.2025

वीडीए मानचित्र विभाग के जेई से तलब किया जवाब

- कई बार आपत्तियों की शिकायत की गई थी
- जांच में अवर अभियंता की लापरवाही मिली

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने मानचित्र विभाग के अवर अभियंता (जेई) संजय कुमार तिवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मानचित्र आवेदन प्रक्रिया में लापरवाही और अनावश्यक आपत्तियां लगाने पर कार्रवाई हुई है।

वीडीए उपाध्यक्ष से सुनीति कुमारी और धनंजय प्रताप सिंह ने बार-बार आपत्तियां आने पर शिकायत की थी। जांच में संजय कुमार तिवारी द्वारा आवेदन का सही परीक्षण नहीं करना पाया गया। प्राधिकरण ने 26 नवंबर 2024 और 3 जनवरी 2025 को दी गई आपत्तियों में भू-उपयोग रिपोर्ट, आर्किटेक्ट का हलफनामा समेत अन्य दस्तावेजों में कमी पाई गई थी। संजय तिवारी ने इन्हें नजरअंदाज करते हुए 28 दिसंबर 2024 और 15 जनवरी 2025 को मानचित्र अपलोड कर दिया।

इस लापरवाही पर संजय तिवारी का एक दिन का वेतन रोक दिया गया है और 20 जनवरी तक स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण नहीं देने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।

हिन्दुस्तान–दि0 18.01.2025

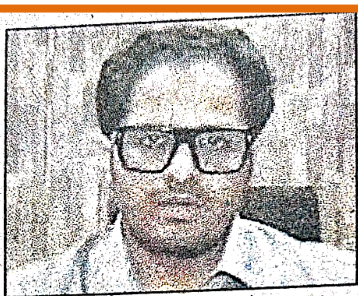

"वीडीए मुख्यालय में हर गुरुवार को मानचित्र संबंधी शिकायतों के लिए कैंप लगता है। कमरा संख्या 38 में मानचित्र सेल बनाई गई है, जहां लोग जानकारी ले सकते हैं। मानचित्र के आवेदन को समय पर स्वीकृत करना वीडीए की प्राथमिकता में है।

पुलकित गर्ग, वीडीए उपाध्यक्ष

राष्ट्रीय सहारा–दि0 18.01.2025

मानचित्र निस्तारण में न करें विलंब

वीडीए अपर सचिव ने की समीक्षा

वाराणसी। वीडीए अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा की तरफ से जोन-एक एवं जोन-दो की समीक्षा बैठक की गयी। समीक्षा के दौरान लंबित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा की गयी। जोन-एक के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में विगत 05 जनवरी से 11 जनवरी 2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि 14,67,553 रुपए जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि 7,36,25,181 रुपए जमा कराया गया है। सील प्रकरणों की जांच एवं बेसमेण्ट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए निर्देश दिया गया है एवं सचेत किया गया कि विलंबतम एक सप्ताह में जनशिकायतों का निस्तारण किया जाय।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 18.01.2025

वीडीए उपाध्यक्ष ने अवर अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने शुक्रवार को अवर अभियंता (मानचित्र) संजय कुमार तिवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया हैं। यह नोटिस मानचित्र आवेदन प्रक्रिया में लापरवाही और अनावश्यक आपत्तियां लगाने के कारण जारी किया गया है। 6 जनवरी 2025 को आवेदक सुनीति कुमारी और धनंजय प्रताप सिंह ने शिकायत की थी कि उनकी तरफ से प्रस्तुत मानचित्र आवेदन में बार-बार प्राधिकरण की तरफ से आपत्तियां लगाया जा रही हैं, जिसके कारण मानचित्र निस्तारण में विलंब हो रहा है। संजय तिवारी ने आवेदन का सही ढंग से परीक्षण नहीं किया, जिसके कारण आवेदकों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ा। लगातार लापरवाही के चलते संजय तिवारी के एक दिन के वेतन को अग्रिम आदेशों तक रोक दिया गया है और उन्हें 20 जनवरी 2025 तक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। यदि निर्धारित समय में स्पष्टीकरण नहीं मिलता है, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

अवैध निर्माण व प्लाटिंग पर वीडीए ने कसा शिकंजा

वीडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर हुई कार्रवाई

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर शुक्रवार को जोन-पांच की प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही की। मुगलसराय वार्ड अंतर्गत गुरुदीप पाल, मौजा गोधना, थाना अलीनगर में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण कर पीलर खड़े करते हुए सरियों एवं सटरिंग का कार्य किये जाने पर नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, निर्माणकर्ता द्वारा वर्तमान में निर्माण कर बेसमेंट पर पीलर खड़े करने पर उक्त अनाधिकृत निर्माण को सील कर थाना अलीनगर की निगरानी के लिए सौंप दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जोन दो की प्रवर्तन टीम ने 2200 वर्ग मी. में अनाधिकृत प्लाटिंग को रोक दिया। सारनाथ वार्ड के मौजा-बरईपुर के अंतर्गत विरेंद्र बहादुर सिंह व अन्य द्वारा सारंगनाथ मंदिर के बगल में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये अनाधिकृत प्लाटिंग किया जा रहा था, जिसके विरूद्ध नोटिस की कार्यवाही करते हुए अनाधिकृत प्लाटिंग को रोक दिया गया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 18.01.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण के अपर सचिव ने की समीक्षा बैठक

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के सभागार कक्ष में अपर सचिव डॉ0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक की गयी, समीक्षा बैठक के दौरान लम्बित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया। जोन-1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में विगत दिनांक 05.01.2025 से 11.01.2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 14,67,553.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-7,36,25,181.00 जमा कराया गया है। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने को भी जोनल अधिकारी को निर्देश दिया गया।

सील प्रकरणों की जाँच एवं बेसमेण्ट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया है एवं सचेत किया गया कि विलम्बतम 01 सप्ताह में जनशिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय। शहर में हो रहे अनियोजित विकास एवं अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही/ध्वस्तीकरण सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिया गया है। साथ ही बैठक में अपर सचिव द्वारा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित किया गया कि सौंपें गये कार्यों के प्रति कोई लापरवाही एवं शिथिलता न बरती जाय अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण से देखा जायेगा। उक्त समीक्षा बैठक में जोन-1 के जोनल अधिकारी, श्री शिवाजी मिश्रा, अवर अभियन्ता, श्री विजय सिंह, अवर अभियन्ता, सुश्री प्रिया अग्रहरि, भवन लिपिक, श्रीमती किरन सिंह एवं समस्त फील्ड कार्मिक उपस्थित रहे।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 18.01.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण ने आर्किटेक्ट को दी सख्त चेतावनी

वाराणसी। मानचित्र आवेदक से मिली शिकायत के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल www.upobpas.in पर पंजीकृत आर्किटेक्ट श्री अनिल कुमार सिंह द्वारा पोर्टल पर जमा की गयी ऑनलाइन पत्रावली संख्या VDA/BP/2024/25/0350 मानचित्र का परीक्षण किया गया। प्राधिकरण द्वारा पूर्व में दर्ज की गई आपत्तियों के निराकरण के बिना ही फाइल को दो बार क्रमशः 28 दिसंबर 2024 और 15 जनवरी 2025 को अपलोड कर दिया गया। परीक्षण के दौरान उपाध्यक्ष ने इसे घोर लापरवाही करार देते हुए कहा कि ऐसी त्रुटियों से प्राधिकरण का समय व्यर्थ होता है और छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आम जनमानस को परेशानी का सामना करना पड़ता है।आर्किटेक्ट अनिल कुमार सिंह को निर्देश दिया गया है कि वह पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। ऐसा न करने पर उनका रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।वाराणसी विकास प्राधिकरण ने आर्किटेक्ट द्वारा की गई लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए सख्त चेतावनी जारी की है। यह कदम प्राधिकरण की छवि बनाए रखने और आम जनता को अनावश्यक परेशानियों से बचाने के लिए उठाया गया। प्राधिकरण द्वारा यह समय समय पर समस्त आर्किटेक्ट एवं रजिस्टर्ड अभियन्ताओं को स्पष्ट किया गया है कि शासनादेश संख्या-12/2020 के तहत यदि मानचित्रों में गलत सूचना पाई जाती है, तो प्रथम तीन बार नोटिस जारी किया जाएगा। चौथी बार गलती दोहराए जाने पर तीन महीने, पांचवीं बार छह महीने, छठी बार एक वर्ष, और इसके बाद आजीवन प्रोफेशनल प्रैक्टिस को निलंबित करने की संस्तुति की जाएगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों के लिए सोलर प्लांट लगाने हेतु रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन

वाराणसी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत, वाराणसी विकास प्राधिकरण में कार्यरत सभी नियमित, संविदा तथा पेंशनधारी कर्मचारियों को अपने घरों पर सोलर प्लांट लगाए जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना और बिजली बिल में छूट प्रदान करना है।कर्मचारियों को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन के लिए बिजली का बिल, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कुल 108000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है।सब्सिडी का विवरण- 1.0 किलोवाट के लिए 45,000 2.0 किलोवाट के लिए 90,000 3.0 किलोवाट से लेकर 10.0 किलोवाट तक के लिए 108,000 की सब्सिडी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।सभी कर्मचारियों के लिए रजिस्ट्रेशन हेतु एचडीएफसी बैंक के सामने प्राधिकरण परिसर में एक कैंप आयोजित किया गया है, जो दिनांक 16 जनवरी से 30 जनवरी 2025 तक चलेगा।

जनसंदेश टाइम्स–दि0 18.01.2025

सम्भागीय खाद्य नियंत्रक ने की केपीआई वायलेशन की समीक्षा

बैठक

ब्लॉकवार उपलब्ध छोटे वाहनों की ली जानकारी

जियोफेंस डीलवरी ठीक नहीं होने पर नाराजगी

वाराणसी। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक ने केपीआई वायलेशन की शुक्रवार को समीक्षा की। ब्लॉकवार उपलब्ध जहां छोटे वाहनों की ली जानकारी, वहीं जियोफेंस डिलीवरी ठीक नहीं होने पर नाराजगी जताई। इस दौरान सम्भागीय खाद्य नियंत्रक पुलकित गर्ग ने जीपीएस युक्त वाहनों से खाद्यान्न की डिलीवरी में सुधार न होने की दशा में वेतन रोकने का निर्देश दिया। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक एवं वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग की अध्यक्षता में हुई बैठक में सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी, उपायुक्त (खाद्य), वाराणसी मण्डल, मण्डल प्रबन्धक भारतीय खाद्य निगम, वाराणसी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, वाराणसी, चन्दौली, जौनपुर एवं गाजीपुर तथा जिला पूर्ति अधिकारी, वाराणसी, चन्दौली, जौनपुर एवं गाजीपुर शामिल रहे। इस दौरान सम्भागीय खाद्य नियंत्रक ने सभी जिला खाद्य विपणन अधिकारी, एवं जिला पूर्ति अधिकारी, वाराणसी, को जियोफेंस डिलीवरी की स्थिति सन्तोषजनक नहीं पाये जाने पर जहां नाराजगी जाहिर की, वहीं अपने-अपने जनपदों के परिवहन ठेकेदारों से छोटे वाहनों की आवश्यकता का आंकलन कराने तथा ठेकेदारों द्वारा आवश्यकतानुसार छोटे वाहनों की सूची उपलब्ध कराने हेतु तत्काल बैठक आहूत कराये जाने का निर्देश दिया। उन्होंने सम्भाग क्षेत्र में जनपद जौनपुर एवं गाजीपुर में जियोफेंस खाद्यान्न डिलीवरी की स्थिति 50 प्रतिशत से कम पाये जाने पर जहां फटकार लगाई, वहीं जनपद गाजीपुर के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले ब्लाक-मुहम्मदाबाद, बाराचवर, जमानियाँ, गाजीपुर सदर, करण्डा, कासिमाबाद एवं जखनियाँ की स्थिति ठीक किए जाने, जनपद जौनपुर के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले ब्लाक-मछलीशहर, बरसठी, खुटहन, मुगराबादशाहपुर, जलालपुर, शाहगंज, मुफ्तीगंज, सिकरारा, सुजानगंज, बक्सा एवं महराजगंज और जनपद चन्दौली के ब्लाक-नियमताबाद, बरहनी, शाहबगंज, न.प. चन्दौली की बेकार स्थिति में सुधार लाने जाने को कहा, वहीं जनपद वाराणसी के सबसे खराबा प्रदर्शन करने वाले ब्लाक-जैतपुरा की खराब प्रर्दशन पर कड़ा रूख अपनाते हुए सभी ठेकेदार से प्रत्येक वाहनों की जी.पी.एस. मॉनीटरिंग करने का सख्त निर्देश दिया। समभागीय खाद्य नियंत्रक ने सभी ठेकेदार से अपने-अपने सभी वाहन चालको को रूट के बारे में जानकारी देंने तथा जियोफेंस में डिलीवरी कराये जोन के साथ इस कार्य हेतु सभी ठेकेदारों से अपने-अपने व्हाट्सऐप ग्रुप बना लेने का निर्देश दिया।

उन्होंने ठेकेदारो से एक दिन पूर्व उचित दर विक्रेताओं को फोन करके खाद्यान्न आने की जानकारी दिए जाने को कहा ताकि वाहन पहुँचने पर उचित दर विक्रेता उपस्थित रहे और खाद्यान्न प्राप्त कर सके। इस दौरान सभी ठेकेदार अपने वाहन को उचित दर विक्रेता दुकानो में खाद्यान्न डिलीवरी के समय जियोफेंस में 30 मिनट तक वाहन खड़ा करेंगें ताकि जियोफेंस में डिलीवरी ऑनलाइन प्रदर्शित हो सके। जनपदवार सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्थान्तर्गत चल रही जी.पी.एस. युक्त वाहनों के के.पी.आई. में प्रदर्शन में जियोफेंस डिलीवरी 50 प्रतिशत से कम होने वाले ब्लाकों में सुधार हेतु निर्देश दिया। जिला खाद्य विपणन अधिकारी को सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्थान्तर्गत खाद्यान्न के उठान/प्रेषण में नियुक्त सम्बन्धित क्षेत्रीय विपणन अधिकारी / विपणन निरीक्षकों के द्वारा जी.पी.एस. युक्त वाहनों की ट्रैकिंग एवं मॉनीटरिंग का कार्य प्रत्येक स्तर से करते हुए के.पी.आई. वॉयोलेशन समबन्धी प्रकरण को न्यून / शून्य करने के निर्देश दिये गये।

न्यायाधीश–दि0 18.01.2025

जोन-5 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-5 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी। इसके तहत 17.जनवरी को वार्ड-मुगलसराय के अन्तर्गत गुरुदीप पाल, मौजा - गोधना, वार्ड-मुगलसराय, थाना - अलीनगर जिला-वाराणसी मे बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण कर पीलर खड़े करते हुए सरियों एवं सटरिंग का कार्य किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (ग) व 28 (ग) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, निर्माणकर्ता द्वारा वर्तमान मे निर्माण कर बेसमेंट पर पीलर खड़े करने पर उक्त अनाधिकृत निर्माण को सील कर थाना -अलीनगर की सतत निगरानी हेतु सौंप दिया गया। इस मौके पर जोनल अधिकारी सिंह गौरव जय प्रकाश, अभियंता अशोक यादव, मौजूद रहे। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करे अन्यथा की स्थिति मे प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश–दि0 18.01.2025

अपर सचिव वाविप्रा डॉ0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक की गयी

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा के निर्देशों के क्रम में आज 17.जनवरी को वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के सभागार कक्ष मे अपर सचिव डॉ0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक की गयी, समीक्षा बैठक के दौरान लम्बित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया। जोन-1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास मे विगत दिनांक 05.01.2025 से 11.01.2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 14,67,553.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0- 7,36,25,181.00 जमा कराया गया है। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने को भी जोनल अधिकारी को निर्देश दिया गया। सील प्रकरणों की जॉच एवं बेसमेण्ट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया है एवं सचेत किया गया कि विलम्बतम 01 सप्ताह में जनशिकायतो का निस्तारण प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय। शहर मे हो रहे अनियोजित विकास एवं अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही/ध्वस्तीकरण सुनिश्चि कराने हेतु निर्देश दिया गया है। साथ ही बैठक मे अपर सचिव द्वारा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित किया गया कि सौपें गये कार्यो के प्रति कोई लापरवाही एवं शिथिलता न बरती जाय अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण से देखा जायेगा। उक्त समीक्षा बैठक मे जोन-1 के जोनल अधिकारी, श्री शिवाजी मिश्रा, अवर अभियन्ता, श्री विजय सिंह, अवर अभियन्ता, सुश्री प्रिया अग्रहरि, भवन लिपिक, श्रीमती किरन सिंह एवं समस्त फील्ड कार्मिक उपस्थित रहे।

न्यायाधीश–दि0 18.01.2025

नोटिस की कार्यवाही करते हुये वाविप्रा ने रूकवाया अवैध निर्माण प्लाटिंग

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम मे वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-2 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण प्लाटिंग को नोटिस की कार्यवाही करते हुये रुकवा दिया गया है। इसके तहत 17 जनवरी को वार्ड-सारनाथ के अन्तर्गत विरेंद्र बहादुर सिंह, मौजा - बरईपुर, सारंगनाथ मंदिर के बगल में वार्ड-सारनाथ , जिला-वाराणसी मे लगभग 2200वर्ग मीटर में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये अवैध प्लाटिंग का कार्य किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (i) व 28 (ii) के अन्तर्गत नोटिस करते हुये अनाधिकृत प्लाटिंग को रुकवा दिया गया है। जोनल अधिकारी श्री प्रकाश,अभियंता विनोद कुमार, मौजूद रहे। उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करे अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश–दि0 18.01.2025

उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा अवर अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी

वाराणसी ।वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग द्वारा 17 जनवरी को संजय कुमार तिवारी, अवर अभियंता (मानचित्र), को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। यह नोटिस मानचित्र आवेदन प्रक्रिया में लापरवाही और अनावश्यक आपत्तियाँ लगाने के कारण जारी किया गया है। 16 जनवरी 2025 को आवेदक श्रीमती सुनीति कुमारी और श्री धनंजय प्रताप सिंह ने शिकायत की थी कि उनके द्वारा प्रस्तुत मानचित्र आवेदन VDA/ BP/24-25/0350 मे बार-बार प्राधिकरण द्वारा आपत्तियाँ लगाई जा रही है, जिसके कारण मानचित्र निस्तारण में विलंब हो रहा है। संजय तिवारी के द्वारा आवेदन का सही ढंग से परीक्षण नही किया गया, जिसके कारण आवेदकों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ा। प्राधिकरण द्वारा 26 नवंबर 2024 और 3 जनवरी 2025 को दी गई आपत्तियो में लैंड यूज़ रिपोर्ट, वास्तुविद् हलफनामा, गणना पत्रिका, और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजो मे कमी पाई गई थी। इसके बावजूद, संजय तिवारी ने इन्हें नजरअंदाज करते हुए 28

नया मानचित्र आवेदन VDA/ BP/24-25/0757 प्राप्त होने के बावजूद 17 जनवरी 2025 तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं करने पर आवेदन प्रक्रिया मे लापरवाही कारण नोटिस जारी किया गया। इस लापरवाही के कारण संजय तिवारी के एक दिन के वेतन को अग्रिम आदेशो तक रोक दिया गया है और उन्हे 20 जनवरी 2025 तक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। यदि निर्धारित समय मे स्पष्टीकरण नहीं मिलता है, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। वाराणसी विकास प्राधिकरण इस कदम के द्वारा मानचित्र आवेदन प्रक्रिया मे पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करना चाहता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही को सख्ती से नकारेगा।

सुपर फास्ट टाइम्स–दि0 18.01.2025

अपर सचिव डा.गुडाकेश शर्मा ने जोन 01 व 02 का किया समीक्षा बैठक

सुपर फास्ट टाइम्स
अतुल राय

वाराणसी। वीडीए के सभागार में शुक्रवार को अपर सचिव डा.गुडाकेश शर्मा ने जोन 01व 02 का निर्देश दिया गया। जनशिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया एवं सचेत किया गया कि बिलम्बतम एक सप्ताह में जनशिकायतों का निस्तारण

का समीक्षा बैठक किया।समीक्षा बैठक के दौरान लम्बित शमन मानचित्रो की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया। जोन 01 के वार्ड शिवपुर,सिकरौल एवं विन्यास में विगत 05.01.2025 से 11.01.2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि 14,67,553.00/ जमा कराया गया तथा इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि7,36,25,181.00/जमा कराया गया है। जमा ना करने वाले निर्माण कताओं के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्रवाई करने हेतु भी जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया गया। सील प्रकरणों की जांच एवं बेसमेंट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने प्राथमिकता के आधार पर किया जाय। शहर में हो रहे अनियोजित विकास एवं अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही,ध्वस्तीकरण सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिया गया।साथ ही बैठक में अपर सचिव द्वारा संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया गया सौंपे गए कार्यों के प्रति कोई भी लापरवाही या शिथिलता ना बरती जाए अन्यथा की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। समीक्षा बैठक में जोन एक के जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा,अवर अभियंता विजय सिंह,अवर अभियंता प्रिया अग्रहरि,भवन लिपिक किरण सिंह एवं समस्त फील्ड कार्मिक उपस्थित रहे।

तरूणमित्र न्यूज–दि0 18.01.2025

वीडीए वीसी ने बेवजह परेशान करने वाले अवर अभियंता को कारण बताओ नोटिस किया जारी

तरुणमित्र न्यूज
वाराणसी। आज दिनांक 17/01/2025 को वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री पुलकित गर्ग द्वारा संजय कुमार तिवारी, अवर अभियंता (मानचित्र), को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। यह नोटिस मानचित्र आवेदन प्रक्रिया में लापरवाही और अनावश्यक आपत्तियाँ लगाने के कारण जारी किया गया है।

गौरतलब है कि 16 जनवरी 2025 को आवेदक सुनीति कुमारी और धनंजय प्रताप सिंह ने शिकायत की थी कि उनके द्वारा प्रस्तुत मानचित्र आवेदन VDA/BP/ 24-25/0350 में बार-बार प्राधिकरण द्वारा आपत्तियाँ लगाई जा रही है, जिसके कारण मानचित्र निस्तारण में विलंब हो रहा है। संजय तिवारी के द्वारा आवेदन का सही ढंग से परीक्षण नहीं किया गया, जिसके कारण आवेदकों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ा। प्राधिकरण द्वारा 26 नवंबर 2024 और 3 जनवरी 2025 को दी गई आपत्तियों में लैंड यूज़ रिपोर्ट, वास्तुविद् हलफनामा, गणना पत्रिका, और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों में कमी पाई गई थी। इसके बावजूद, संजय तिवारी ने इन्हें नजरअंदाज करते हुए 28 दिसंबर 2024 और 15 जनवरी 2025 को मानचित्र अपलोड कर दिया।

इसके अलावा, संजय तिवारी द्वारा 11 जनवरी को एक नया मानचित्र आवेदन VDA/BP /24-25/0757 प्राप्त होने के बावजूद 17 जनवरी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं करने पर आवेदन प्रक्रिया में लापरवाही कारण नोटिस जारी किया गया। लापरवाही के कारण संजय तिवारी के एक दिन के वेतन को अग्रिम आदेशों तक रोक दिया गया है और उन्हें 20 जनवरी 2025 तक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। यदि निर्धारित समय में स्पष्टीकरण नहीं मिलता है, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। वीडीए वीसी पुलकित गर्ग ने इस बाबत कहा कि वाराणसी विकास प्राधिकरण इस कदम के द्वारा मानचित्र आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करना चाहता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही को सख्ती से नकारेगा।

स्टेट मीडिया संवाददाता–दि0 18.01.2025

अवैध निर्माण पर विकास प्राधिकरण का तगड़ा एक्शन, भवन किया सील, रुकवाई प्लाटिंग

वाराणसी (स्टेट मीडिया संवाददाता)। विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और प्लाटिंग के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की है। प्रवर्तन दल ने जोन-5 और जोन-2 में दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की। अवैध निर्माण को सील कर दिया। वहीं प्लाटिंग रुकवा दी। वीडीए की कार्रवाई से खलबली मची रही। वार्ड-मुगलसराय के अंतर्गत मौजा गोधना में गुरुदीप पाल द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध निर्माण किया जा रहा था। निर्माणकर्ता ने पिलर खड़े करने और बेसमेंट में सरिया और शटरिंग का काम शुरू कर दिया था। इस पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-27, 28 (i) और 28 (ii) के तहत नोटिस जारी की गई। इसके बावजूद निर्माण जारी रहने पर निर्माण स्थल को सील कर दिया गया और सतत निगरानी के लिए थाना अलीनगर को सौंप दिया गया। कार्रवाई के दौरान जोनल अधिकारी सिंह गौरव जय प्रकाश और अभियंता अशोक यादव मौजूद थे। इसी दिन वार्ड-सारनाथ के मौजा बरईपुर में सारंगनाथ मंदिर के पास 2200 वर्ग मीटर में अनाधिकृत प्लाटिंग का मामला सामने आया। विरेन्द्र बहादुर सिंह और अन्य ने बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध प्लाटिंग शुरू कर दी थी।

इस पर वीडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत नोटिस जारी किया और प्लाटिंग कार्य को रोक दिया। इस कार्रवाई में जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार और विनोद कुमार उपस्थित रहे।